महत्वपूर्ण/ई–मेल/स्पीडपोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या–4430/सी0ई0ओ0–4–201/4–2014 लखनऊः दिनांकः 07 नवम्बर, 2014

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय– **अर्हता तिथि 01.01.2015 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया आयोग के पत्र संख्या–23/उ0प्र0/2014–15 दिनांक 05.11.2014 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ लें जिसके माध्यम से आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2015 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत **दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि दिनांक 20 नवम्बर 2014 तक, विशेष अभियान की तिथि दिनांक 16.11.2014 को एवं दावे और आपत्तियों के निस्तारण की तिथि 01 दिसम्बर 2014 कर दी गयी है।**

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या–4060/सी0ई0ओ0–4 दिनांक 09.09.2014 द्वारा उपलब्ध कराए गए आयोग के पत्र दिनांक 09.09.2014 में उक्त के अतिरिक्त उल्लिखित अन्य तिथियां यथावत् है।

3– प्रस्तुत प्रसंग में मुझे यह कहना है कि आयोग द्वारा दावे और आपत्तियों की बढ़ायी गयी अवधि एवं विशेष अभियान की तिथि के बारे में सभी मतदान केन्द्रों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए तथा इस सम्बन्ध में सभी राजनैतिक दलों को भी सूचित किए जाने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्देशों से समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ लेविल अधिकारियों एवं सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
7/11/14
(रमाकान्त पाण्डेय)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्याः4430(1)/सी0ई0ओ0–4 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रभारी कम्प्यूटर कक्ष, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

7/11/14
(रमाकान्त पाण्डेय)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 23/उ0प्र0/2014–15

दिनांकः– 5 नवम्बर, 2014

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषयः– अर्हता दिनांक 01–01–2015 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण – दावे/आपत्तियों प्राप्त करने की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र, सं0 4420/सी0ई0ओ0–4–201/4–2014, दिनांक 5 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है आयोग ने आपके द्वारा भेजे गये निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन प्रस्ताव का निम्नवत् अनुमोदन कर दिया है ।

क्रम सं0	विवरण	अवधि
1	दावे ओर आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि	दिनांक 15.10.2014 (बुधवार) से दिनांक 20.11.2014 (बृहस्पतिवार)
2	विशेष अभियान की तिथियां	दिनांक 19.10.2014 (रविवार) दिनांक 02.11.2014 (रविवार) दिनांक 16.11.2014 (रविवार)
3	दावे ओर आपत्तियों का निस्तारण	दिनांक 01.12.2014 (सोमवार)

इस सम्बन्ध में अधिसूचना भेजी जा रही है ।

भवदीय

(राकेश कुमार)
अवर सचिव